(18)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम.गोपाल रेड्डी,
प्रशासकीय सदस्य

प्रकरण कमांक 193–दो/17 विरुद्ध आदेश दिनांक 28.12.2016 पारित द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर प्रकरण कमांक 293/2015–16/अपील

बृजमोहन पुत्र बद्री धोवी
निवासी ग्राम भदेरा तहसील पोहरी
जिला शिवपुरी (म.प्र.) .....आवेदक

विरुद्ध

1. अजय शुक्ला पुत्र हरिदत्त शुक्ला
   बहैसियम मुख्त्यार आम महिला दक्खो
   पुत्री ग्यासी पत्नी हरिया निवासी ग्राम
   भदेरा तहसील पोहरी जिला शिवपुरी (म.प्र.) .....असल अनावेदक
2. महिला सावो पत्नि बद्री
3. धनीराम पुत्र बारेलाल
4. महिला सावो पत्नि बारेलाल
   सभी निवासी ग्राम भदेरा तहसील पोहरी
   जिला शिवपुरी (म.प्र.)
5. बेदवती पुत्री बारेलाल पत्नि ववलेश
   निवासी तिघरा तहसील पोहरी जिला शिवपुरी (म.प्र.)
6. म0प्र. शासन .....फॉर्मल अनावेदकगण

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री जी.पी. नायक

अनावेदक क. 1 की ओर से श्री लखन सिंह धाकड़ एवं अना0 क. 2 की ओर से पैनल अधिवक्ता श्री डी.के. शुक्ला

आदेश

(आज दिनांक 21/12/17 **को पारित)**

यह निगरानी अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण कमांक

293 / 2015–16 / अपील में पारित आदेश दिनांक 28.12.2016 के विरुद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसील न्यायालय के समक्ष बद्री आदि के द्वारा संहिता की धारा 178 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम भदैरा की भूमि खाता क. 68 रकवा 1.54 हे. के बंटवारे की मांग की गई। तहसील न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 29.10.99 को बंटवारा आदेश पारित किया गया। इस कार्यवाही के विरुद्ध दक्खो के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 28.07.2014 को अपील प्रस्तुत की जिसे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 26.04.2016 के द्वारा अस्वीकार कर दिया। अनुविभागीय अधिकारी के इस आदेश के विरुद्ध अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई, जिसे अपर आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 28.12.2016 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों का आदेश अपास्त कर अनावेदक क. 1 दक्खो को 1.0309 हे. भूमि उसके हिस्से अनुसार बंटवारे में दिए जाने के आदेश दिए गए साथ ही उन्होंने प्रकरण तहसील न्यायालय को विधिवत नियमानुसार बंटवारे की कार्यवाही करने का आदेश दिया। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

3. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि माह दिसम्बर–2012 में हुए संहिता में संशोधन अनुसार अपर आयुक्त को मामला प्रत्यावर्तित करने की शक्तियां नहीं हैं, जिसके कारण अपर आयुक्त का आदेश अधिकारिता रहित होने से निरस्त किए जाने योग्य है। तथा उनके द्वारा यह भी तर्क दिए गए हैं कि अनुविभागीय अधिकारी के पद 4 में स्पष्ट वर्णन है कि महिला दक्खो ने तहसील न्यायालय में सहमति से बंटवारा कराया है तथा फर्द पर एवं तहसीलदार के समक्ष कथनों पर उसके हस्ताक्षर हैं। इसके बाद भी अपर आयुक्त ने सहमति बंट की अपील स्वीकार करते हुए प्रकरण प्रत्यावर्तित करने की भूल की है। एवं अपर आयुक्त का आदेश मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 178 में दिए गए प्रावधानों के अनुरूप न होने से अपास्त किए जाने योग्य है।

4. अनावेदकगण क. 1 की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित ठहराते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का आवेदन किया गया।

अनावेदक क. 6 शासन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर किए जाने का निवेदन किया।

5. उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 28.12.16 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उनके द्वारा प्रकरण तहसील न्यायालय को बंटवारे की विधिवत कार्यवाही कर नियमानुसार बंटवारा हेतु प्रत्यावर्तित किया गया है, जबकि संहिता की धारा 49 में हुए संशोधन के फलस्वरूप अपीलीय प्राधिकारी को प्रकरण प्रत्यावर्तित करने की अधिकारिता नहीं रह गई है। अतः अपर आयुक्त का आदेश इसी स्तर पर निरस्त किया जाकर उन्हें निर्देश दिए जाते हैं कि उभयपक्ष को सुनकर प्रकरण का अपने स्तर पर अंतिम निराकरण करें।

(एम. गोपाल रेड्डी)
प्रशासकीय सदस्य,
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर